



आज़ादी का
अमृत महोत्सव



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीव सिंह मार्ग, नई दिल्ली
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.सं.11011/विविध/2026-के.वि.सं.(मु0)/जसूप/23929

दिनांक 08/10/2026

उपायुक्त/निदेशक,
केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय/
आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।

विषय: केन्द्रीय सूचना आयोग(CIC) के नये/अपग्रेडेड पोर्टल पर सीपीआईओ द्वारा खातों का सृजन/
पंजीकरण करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना
आयोग (CIC) द्वारा द्वितीय अपील एवं शिकायत संबंधी पोर्टल को अपग्रेड किया गया है।

अतः सभी उपायुक्त/निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से अनुरोध
है कि आयोग के नये/अपग्रेडेड पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपने-अपने कार्यालय के
सीपीआईओ को यूजर अकाउंट का सृजन/पंजीकरण और लॉगिन के उपरांत संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित
करने हेतु निर्देशित करें।

1) पोर्टल विवरण

पोर्टल लिंक: <https://dss.cic.gov.in>

2) पीआईओ हेतु आवश्यक कार्य

-कृपया अपने सम्बंधित यूजर अकाउंट के माध्यम से रजिस्टर/लॉगिन करें।

-अबसे सभी द्वितीय अपील एवं शिकायतों के संबंध में लिखित प्रस्तुतियाँ (Written Submissions) पोर्टल के माध्यम से
आपके लॉगिन के जरिए प्रस्तुत की जानी हैं।

कृपया इस सूचना का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने खाते/लॉगिन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करें
ताकि नोडल अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात् संबंधित सीपीआईओ के अकाउंट को स्वीकृति प्रदान
की जा सके। और केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित द्वितीय अपीलों/शिकायतों से संबंधित कार्यवाही
निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होना सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीया,

निीलम
08/10/2026

(नीलम)

संयुक्त आयुक्त(प्रशा.) एवं
नोडल अधिकारी (जसूप)

प्रतिलिपि:

(1.) निजी सचिव, आयुक्त, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।

(2.) निजी सचिव, अपर आयुक्त(प्रशा.), केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।

(3.) सहायक आयुक्त(आईटी) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.), नई दिल्ली की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

(4.) गार्ड फाईल।